रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 329] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 23, 1977 श्रावण 1, 1899
No. 329] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 23, 1977/SRAVANA 1, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)
ORDER

New Delhi, the 23rd July 1977

S.O. 583(E)/18A/IDRA/77.—Whereas the Central Government is of the opinion that Messrs Priyalaxmi Mills, Baroda, Gujarat, an industrial undertaking, belonging to Shree Keshariya Investment Limited, New Delhi in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to public interest,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the Gujarat State Textile Corporation (hereinafter referred to as 'Authorised Controller') to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, Messrs Priyalaxmi Mills, Baroda, Gujarat, subject to the following terms and conditions, namely —

(i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government.

(ii) The Authorised Controller shall hold office for a period of five years from the date of publication in the Official Gazette of this Order.

(iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F 3/4/75-CUC]

P. C. NAYAK, Jt. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1977

का०आ० 583(अ)/18ए आई डी आर ए/77—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि श्री केसरिया इन्वैस्टमेंट लिमिटेड नई दिल्ली की मैसर्स प्रिय लक्ष्मी मिल्स, बड़ौदा, गुजरात औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध जिसकी बाबत उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन अन्वेषण किया गया है, इस प्रकार किया जा रहा है जो लोक हित में अति अहितकर है ;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, गुजरात स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन को (जिसे इसमें उसके पश्चात् "प्राधिकृत नियंत्रक" कहा गया है,) उक्त सम्पूर्ण उपक्रम अर्थात् मैसर्स प्रिय लक्ष्मी मिल्स, बड़ौदा, गुजरात का निम्नलिखित निबन्ध और शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए, एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(i) प्राधिकृत नियंत्रक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए सभी निदेशो का अनुपालन करेगा ।

(ii) प्राधिकृत नियंत्रक इस आदेश के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख के पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(iii) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझती है तो, प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को पहले भी समाप्त कर सकेगी ।

2. यह आदेश, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा ।

[स० फा० 3/4/75—सी यू सी]

पी० सी० नायक, सयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977